राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1001/2013/चित्तौडगढ

जयश्री गोल्ड पैलेस प्रा.लि.
चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम, चित्तौडगढ

प्रत्यर्थी

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 16.06.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त(अपील्स, वाणिज्यिक कर, उदयपुर(जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 29/वैट/रेस्टोरेशन/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी Composition Scheme of Sarafa Dealers-2006 (जिसे आगे कम्पोजीशन स्कीम के तहत प्रशमन स्कीम में आता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कम्पोजीशन स्कीम की शुल्क राजकोष में क्रमशः 12 दिन, 8 दिन, 8 दिन एवं 9 दिन विलम्ब से जमा करायी है इसलिए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, चित्तौडगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने प्रशमन को निरस्त कर अपीलार्थी व्यवहारी को डीलर मानकर आलोच्य वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.01.2011 को पारित करते हुए आलोच्य वर्ष के टर्नओवर पर एक प्रतिशत से कर रू. 1,34,852/– आरोपित किया,जिसमें से रू. 63,480/–जमा होने को कम करते हुए रू. 71,372/–कर आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आरोपित कर रू. 71,372/–के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कम्पोजीशन स्कीम के क्लॉज 5.4 के अनुसार आदेश पारित करने की दिनांक तक विलम्ब शुल्क एवं ब्याज जमा नहीं होने के कारण, अर्थात स्कीम की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2012 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2012 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सभी कर एवं कम्पोजीशन की राशि समय समय पर जमा करायी गयी है परन्तु

स्टाफ/लेखाकार एवं पारिवारिक कारणों के कारण चारों तिमाहियों में मामूली देरी से कम्पोजीशन राशि जमा करायी गयी है इसलिए मामूली देरी के कारण सम्पूर्ण टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाना अनुचित एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ली गई कम्पोजीशन स्कीम को नरस्त किया जाना अविधिक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई नोटिस जारी किये एवं प्रकरण की तथ्यों को ध्यान में रखे बिनाही आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है,जो विधि विरूद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रशमन स्कीम की शर्तो की पालना नहीं की गई है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश विधिक एवं उचित है। उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के कथनानुसार उसने कम्पोजीशन स्कीम के तहत बनने वाली को चारों तिमाहियों में क्रमशः 12 दिन, 8 दिन, 8 दिन एवं 9 दिन विलम्ब से कम्पोजीशन शुल्क जमा कराया है। उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में उन्होंने बहस के दौरान बताया है कि स्टाफ/लेखाकार एवं परिवारिक कारणों से उक्त दिनों का विलम्ब हुआ,जिसमें उसकी कोई बदनियती नहीं थी। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर आरोपित करने से पूर्व उसे कोई नोटिस सुनवाई हेतु जारी नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर करारोपण हेतु कोई नोटिस जारी किया हुआ उपलब्ध नही है, जिससे अतिरिक्त करारोपण हेतु सूचित किया जाने के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं होती है। अतः यह पीठ कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश देती है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर कर निर्धारण अधिकारी विधि एवं न्याय संगत आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह भी दिनांक 14.07.2014 को अपने सभी दस्तावेजीय साक्ष्यों सहित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करवाने हेतु उपस्थित हों।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य